भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं 264
आरबीई सं. 88/2011

सं. ई (पी एंड ए)1-2011/एसपी-1/मिस-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 13.06.2011**

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: 01.01.2011 से महंगाई भत्ता बढ़ने के परिणामस्वरूप विभिन्न भत्तों के दर में 25% की वृद्धि करना।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न कोटियों के रेलवे कर्मचारियों को अनुमेय विभिन्न भत्तों की दरों को दुगना किया गया था। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस संबंध में सिफारिश करते समय यह भी सिफारिश की थी कि हर बार जब महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तब इन भत्तों की दरों में भी 25% की वृद्धि की जाएगी। तदनुसार रेलवे बोर्ड ने विभिन्न भत्तों के संबंध में अनुदेश जारी किए। इन भत्तों का ब्यौरा तथा रेलवे द्वारा इन्हें लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र संदर्भ संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

2. महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 51% हो जाने के पश्चात् विभिन्न भत्तों की दर में संशोधन करने के मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया। रेलों में किसी प्रकार की शंका न रहे इसलिए यह पुन: दोहराया जाता है कि अब 01.01.2011 से महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने के साथ ही संलग्न अनुबंध में दिए गए भत्तों की दरों में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. इन भत्तों को प्रदान करने के संबंध में अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ स्था. (वे. एवं भ.)।।।,
रेलवे बोर्ड

क्रमश2/-

सं. ई (पी एंड ए)I-2011/एसपी-1/मिस-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 13.06.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. ई (पी एंड ए)I-2011/एसपी-1/मिस-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 13.06.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. महासचिव, फ्रोआ।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
13. महासचिव, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजी.) 490ए/16, गुरूद्वारा रोड, गुड़गांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड।

अनुबंध

01.01.2011 से प्रभावी विभिन्न भत्तों की सूची जो मंहगाई भत्ता की दर में 51% की वृद्धि के कारण संशोधित होंगी

क्रम सं.	भत्ते का नाम	अधिकार पत्र संख्या एवं दिनांक
1	राष्ट्रीय अवकाश भत्ता	ई(पी.एंड ए.) I-2008/एचएल-2, 01.12.2008
2	कठिन सिविल इंजीनियरिंग समपार गेटों के गेटकीपरों को विशेष भत्ता	ई(पी.एंड ए.) I-2009/एसपी-1/सीई-1, 20.12.2010
3	रात्रि गश्त भत्ता	ई(पी.एंड ए.) I-2008/एएल-3, 03.11.2008
4	नर्सिंग कर्मचारी को मिलने वाला नर्सिंग भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता	ई(पी.एंड ए.) I-2009/एएल/1, 06.02.2009
5	वर्दी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता और धुलाई भत्ता (रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क')	ई(पी.एंड ए.) I-2008/एएलएल/आरपीएफ-3, 06.02.2009
6	विभिन्न कोटियों को मिलने वाले विशेष भत्ते 1. स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक 2. फ्लैग स्टेशनों के प्रभारी वाणिज्य कर्मचारी 3. लाइब्रेरी का कार्य करने वाले अध्यापक 4. उद्घोषक-ईसीआरसी/वाणिज्य क्लर्क/टिकट संग्राहक 5. गाड़ी अधीक्षक/उप गाड़ी अधीक्षक (राजधानी एक्सप्रेस) 6. स्टूअर्ड (उप गाड़ी अधीक्षक) (राजधानी एक्सप्रेस) 7. मुख्यालय फ्लाईंग स्कवॉड में कार्य करने वाले सीटीआई/टीटीई 8. कुक/कुक मेट 9. सीनियर स्केल, जे.ए. ग्रेड तथा एस.ए. ग्रेड के अधिकारी जिन्हें हिन्दी कामकाज का प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है	ई(पी.एंड ए.) I-2009/एसपी - 1/जनरल/1, 30.04.2010
7	चिकित्सा अधिकारियों को मिलने वाले स्नातकोत्तर भत्ता एवं वार्षिक भत्ता	ई(पी.एंड ए.) I-2009/एएल-2, 22.06.2009
8	भंजन भत्ता (क) हैल्पर ग्रेड-II/हैल्पर ग्रेड-I/ अन्य समूह 'घ' कर्मचारी (ख) तकनीशियन ग्रेड-III (ग) तकनीशियन ग्रेड-II/तकनीशियन ग्रेड-I/पर्यवेक्षक (पूर्व मिस्त्री) (घ) वरिष्ठ तकनीशियन/कनिष्ठ इंजी. तथा उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारी	ई(पी.एंड ए.) II-2007/एफई-4/3, 25.09.2009

भारत सरकार /**GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय /**MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड /**RAILWAY BOARD**)

PC-VI No. 264
RBE No. 88 / 2011

No. E(P&A)I-2011/SP-1/Misc. 1 New Delhi, dated 13.06.2011.

The General Managers/FA& CAOs,
All Indian Railways/Production Units.

Sub: Enhancement in the rate of various allowances by 25% as a result of enhancement of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2011.

In accordance with the recommendations of VI CPC, the rates of various allowances admissible to different categories of railway staff were doubled. The VI CPC while making recommendations in this regard had also recommended that the rates of these Allowances will be increased by 25% every time the Dearness Allowance goes up by 50%. Railway Board accordingly issued instructions in respect of various allowances listed in the enclosed Annexure alongwith the letter references under which Railways were authorized to implement the same.

2. Subsequent to enhancement in the rate of Dearness Allowance to 51%, the matter regarding revision in the rate of various allowances has been considered by the Board. In order to dispel any doubts that may arise in the Railways, it is reiterated that the rates of allowances listed in the enclosed Annexure shall increase by 25% with Dearness Allowance now having gone up by 50% w.e.f. 01.01.2011.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. There is no change in the other terms and conditions for grant of these allowances.

5. Kindly acknowledge receipt.

DA : As above

Md. Salim Ahmed.

(Salim Md. Ahmed),
Dy. Director Estt. (P&A)III,
Railway Board.

contd...2/-

No. E(P&A)I-2011/SP-1/Misc. 1 New Delhi, dated 13.06.2011.

Copy to:

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222 Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2011/SP-1/Misc. 1 New Delhi, dated 13.06.2011.

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General FROA.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Assoc. R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officers' Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
14. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

for Secretary, Railway Board.

contd...3/-

ANNEXURE

LIST OF THE VARIOUS ALLOWANCES THAT STAND REVISED W.E.F. 01.01.2011 ON ACCOUNT OF ENHANCEMENT IN THE RATE OF DA TO 51%.

S. No.	Name of the allowance	Authority Number and date
1	National Holiday Allowance (NHA)	E(P&A)I-2008/HL-2 01.12.2008
2.	Special Allowance to Gate Keepers of Civil Engineering Level Crossings	E(P&A)I-2009/SP-1/CE-1 20.12.2010
3.	Night Patrolling Allowance	E(P&A)I-2008/AL-3 03.11.2008
4.	Uniform Allowance, Nursing Allowance & Washing Allowance for Nursing Staff	E(P&A)I-2009/AL/1 06.02.2009
5.	Uniform Allowance, Kit Maintenance Allowance & Washing Allowance(RPF/SRPF Group A)	E(P&A)I-2008/ALL/RPF-3 06.02.2009
6.	Special Allowance to various categories of staff (i)Health & Malaria Inspectors (ii)Commercial staff in-charge of Flag Stations. (iii)Teachers doing Library work (iv)Announcers - ECRCs/Comml. Clerks/TCs (v)Train Supdts./Dy. Train Supdts. of Rajdhani Trains. (vi)Stewards (Dy. Train Supdt.) of Rajdhani Trains (vii)CTIs/TTEs working in HQ Flying Squad (viii)Cook/Cook mate (ix)Sr. Scale, JA Grade & SA Grade Officers entrusted with the Administrative control of Hindi works	E(P&A)I-2009/SP-1/Genl/1 30.04.2010
7.	Post Graduate and Annual Allowance to Medical Officers	E(P&A)I-2009/AL-2 22.06.2009
8.	Breakdown Allowance to (a) Helper Gr. II/ Helper Gr. I/Others Gr. 'D' staff (b) Technician Gr. III (c) Technicians Gr. II/Technicians Gr. I/Supervisors (eastwhile mistry) (d) Sr. Technicians/Junior Engineers and staff in higher scales.	E(P&A)II-2007/FE-4/3 25.09.2009